दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)
THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ: प्लेक्स/सर्किट/417
दिनांक: 21 अगस्त 2026

को

प्लेक्सकॉन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के अनुच्छेद 2.52 और 2.53 में संशोधन

संदर्भ: डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 30/2026-27 दिनांक 20 अगस्त, 2026

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के अनुच्छेद 2.52 और 2.53 में संशोधन के संबंध में उपरोक्त अधिसूचना जारी की गई है, ताकि भारतीय रुपये में निर्यात प्राप्तियों के संबंध में निर्यात अनुबंधों के मूल्यवर्ग और एफटीपी लाभों के लिए पात्रता से संबंधित प्रावधानों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियम, 2023 के साथ तत्काल प्रभाव से संरेखित किया जा सके।

पैरा संख्या	मौजूदा पैराग्राफ	संशोधित पैराग्राफ
2.52: निर्यात अनुबंधों का मूल्यवर्ग	(क) सभी निर्यात अनुबंध और चालान स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा या भारतीय रुपये में नामित होने चाहिए, लेकिन निर्यात आय स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त की जानी चाहिए।	(क) एशियाई क्लियरिंग यूनियन (एसीयू) के सदस्य देशों से संबंधित अनुबंधों और चालानों को छोड़कर, सभी निर्यात अनुबंध और चालान विदेशी मुद्रा या भारतीय रुपये में अंकित किए जाएंगे। निर्यात से प्राप्त आय किसी भी विदेशी मुद्रा या भारतीय रुपये में प्राप्त की जाएगी।
	(ख) विशिष्ट निर्यातों से प्राप्त निर्यात आय रुपये में भी प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते: यह एसीयू सदस्य देश, नेपाल या भूटान के अलावा किसी अन्य देश में स्थित अनिवासी बैंक के स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय वोस्त्रो खाते के माध्यम से किया जाता है। वोस्त्रो खाते के माध्यम से रुपये में किया गया भुगतान, खरीदार के अनिवासी बैंक खाते में उपलब्ध विदेशी मुद्रा भुगतान के अनुरूप होना चाहिए। खरीदार द्वारा अपने अनिवासी बैंक में भेजी गई मुफ्त विदेशी मुद्रा (बैंक सेवा शुल्क काटने के बाद) को एफटीपी निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत निर्यात प्राप्ति के रूप में गिना जाएगा।	(ख) नेपाल और भूटान को छोड़कर अन्य एसीयू के सदस्य देशों से संबंधित निर्यात अनुबंध एसीयू द्वारा निर्धारित मुद्रा में होंगे। हालांकि, ऐसे लेनदेन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार भी किए जा सकते हैं और उनका निपटान किया जा सकता है।
	ग) एसीयू के माध्यम से तय किए गए अनुबंध एसीयू डॉलर में ही होने चाहिए, हालांकि आरबीआई की अधिसूचनाओं के अनुसार लेनदेन एसीयू डॉलर या एसीयू यूरो में भी किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार आवश्यकतानुसार इन प्रावधानों में छूट दे सकती है। एक्जिम बैंक/भारत सरकार की	(ग) नेपाल और भूटान से संबंधित निर्यात अनुबंध भारतीय रुपये में ही अंकित और निपटाए जाएंगे, या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, एक्ज़िम बैंक/भारत सरकार की ऋण लाइनों के अंतर्गत निर्यात अनुबंध

	क्रेडिट लाइन के तहत निर्यात अनुबंध और चालान भारतीय रुपये में भी हो सकते हैं।	और चालान भी भारतीय रुपये में अंकित किए जा सकते हैं।
	(घ) आरबीआई के एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 10, दिनांक 11 जुलाई, 2022 के अनुपालन के अधीन, निर्यात और आयात के लिए रुपये में चालान, भुगतान और निपटान की भी अनुमति है। रुपये में व्यापार लेनदेन को निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा: (i) भारतीय आयातकों को विदेशी विक्रेता/ आपूर्तिकर्ता से प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं के चालान के बदले, भागीदार देश के संवाददाता बैंक के विशेष वोस्त्रो खाते में जमा की गई राशि का भुगतान भारतीय रुपये में करना होगा। (ii) भारतीय निर्यातकों को भागीदार देश के संवाददाता बैंक के निर्दिष्ट विशेष वोस्त्रो खाते में जमा राशि से निर्यात आय भारतीय रुपये में प्राप्त करनी होगी।	
2.53: भारतीय निर्यात प्राप्ति के लिए एफटीपी योजनाओं की प्रयोज्यता	i. ईरान को किए गए निर्यात के बदले भारतीय रुपये में प्राप्त निर्यात आय को, स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त निर्यात आय के बराबर, एफटीपी के पैरा 2.19 के अनुपालन के अधीन, निर्यात लाभ/प्रोत्साहन/निर्यात दायित्वों की पूर्ति के लिए अनुमति दी जाती है। (ii) पैरा 2.52(डी)(ii) के अनुसार भारतीय रुपये में प्राप्त निर्यात आय को एफटीपी के तहत निर्यात लाभ/प्रोत्साहन/निर्यात दायित्वों की पूर्ति के लिए अनुमति दी जाती है।	नेपाल और भूटान को छोड़कर किसी भी अन्य देश को किए गए निर्यात, जिनकी निर्यात आय भारतीय रुपये में प्राप्त होती है और जिनका भुगतान भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के भारतीय रुपये खातों में जमा किया जाता है, जो समय-समय पर संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियमों के अनुसार खोले गए हैं, वे विदेशी मुद्रा नीति के तहत निर्यात लाभ/प्रोत्साहन और निर्यात दायित्वों की पूर्ति के लिए पात्र होंगे, ठीक उसी तरह जैसे किसी अन्य विदेशी मुद्रा में किए गए निर्यात होते हैं। ईरान को किए गए निर्यात के मामले में, उपरोक्त प्रावधान विदेशी मुद्रा नीति के अनुच्छेद 2.19 के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन लागू होंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे यहां दी गई आधिकारिक अधिसूचना देखें।

https://membership.plasticsepc .org/mails_images/202608210227 37.pdf

यह सूचना के लिए है।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल